कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या: 24870/सात लाई०–एस–48/आब०नीति/वर्ष 2025–26 देहरादून दिनांकः मार्च, 12, 2025

::कार्यालय ज्ञाप::

उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2025–26, 2026–27 व 2027–28 (त्रिवर्षीय आबकारी नीति) जो कि उत्तराखण्ड शासन आबकारी अनुभाग की अधिसूचना संख्याः 176/XXIII-1/2025–04 (01)/2025 देहरादून दिनांकः 05, मार्च, 2025 के क्रम में प्रदेश आबकारी राजस्व हित में निम्नांकित निर्देशों का अनुपालन किया जाना है, जो कि निम्नांकित है:–

1. आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2025–26, 2026–27 व 2027–28 (त्रिवर्षीय आबकारी नीति) के नियम–2.5 देशी/विदेशी मदिरा की खुदरा दुकानों के सम्बन्ध में प्राविधान है। अतः नियम–2.5 (i) में उल्लिखित समस्त मदिरा दुकानें समाहित है, इसे देशी/विदेशी मदिरा दुकान पढ़ा जाय।
2. आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2025–26, 2026–27 व 2027–28 (त्रिवर्षीय आबकारी नीति) के नियम–12.1 **विदेशी मदिरा, बीयर, वाईन व आर0टी0डी0 का विक्रय मूल्यः–**
   a) एफ०एल०–5डी हेतु विदेशी मदिरा, बीयर व वाईन/आर0टी0डी0 का अधिकतम/न्यूनतम खुदरा बिक्री मूल्य के लिये वित्तीय वर्ष 2025–26 से 2027–28 निर्धारित सूत्र में टंकण त्रुटियों का निराकरण कर निम्नानुसार वित्तीय वर्ष 2025–26 से 2027–28 तक निर्धारित किया जाएगाः–

क्र०सं०	विवरण
1.	ई0डी0पी0 (नियम 12.5 के क्रम में आबकारी आयुक्त द्वारा स्वीकृत)
2.	निर्यात शुल्क (निर्यातक इकाई के राज्य में प्रभावी)
3.	आयात शुल्क (विदेशी मदिरा में रू0 10 प्रति 750 एम0एल0 (01 बोतल= 02 अद्धा = 04 पव्वा) तथा बीयर व वाईन/आर0टी0डी0 में रू0 05 प्रति 650 एम0एल0 की दर से) अन्य धारिता में समानुपातिक आधार पर लिया जायेगा/ बॉटलिंग फीस (मदिरा जिनकी भराई उत्तराखण्ड राज्य में की जा रही है।)
4.	योग
5.	वाणिज्य कर (12%)
6.	योग
7.	सेस 2 प्रतिशत उपकर (उत्तराखण्ड उपकर अधिनियम– 2015 की धारा–03 की उपधारा 1,खण्ड 'ख' के क्रम में लागू)
8.	महिला सशक्तिकरण, खेलकूद को बढावा देने तथा गौ संरक्षण के लिये प्रत्येक विदेशी मदिरा /बीयर की प्रत्येक बोतल पर प्रति मद रू0 01, (अर्थात प्रत्येक बोतल पर रू0 03) का उपकर देय होगा।
9.	होलोग्राम/ट्रैस एण्ड ट्रैक शुल्क
10.	योग (एफ०एल०–2 लागत मूल्य)
11.	उत्पाद शुल्क (नियम 6.1 में ई0डी0पी0 वार)
12.	प्रतिफल
13.	एफ०एल०–2 अनुज्ञापन धारक का व्यय 70/– रूपये प्रति पेटी

14.	योग
15.	एम0जी0डी0 (एम0जी0डी0 नियम 6.3 में ई0डी0पी0 वार)
16.	ऐसेस्मेन्ट फीस (ऐसेस्मेन्ट फीस नियम 8.3 के अनुसार)
17.	खुदरा विक्रेता का लागत मूल्य
18.	खुदरा विक्रेता का लाभांश (विदेशी मदिरा पर 20 प्रतिशत एवं बीयॅर/वाईन/ आर0टी0डी0 पर 15 प्रतिशत लागत मूल्य का) of 17th point
19.	प्रति बोतल एमएसपी (8 प्रतिशत् लाभांश के साथ)
20.	अधिकतम खुदरा मूल्य – विदेशी मदिरा के मामले में बोतल में रू० 10 के गुणांक में, अद्धा व पव्वा में 5 रुपये गुणांक में तथा बीयॅर/वाईन/आर0टी0डी0 के मामले में रू० 5 के गुणांक में निर्धारित किया जायेगा तथा अन्तर की धनराशि प्रतिफल (अतिरिक्त राजस्व) के रूप में राजकोष में जमा करायी जायेगी। उक्त अतिरिक्त प्राप्त राजस्व जनपद के राजस्व लक्ष्य का भाग माना जाएगा।

टी०सी०एस० आयकर नियमों के अनुरूप देय होगा। विक्रय मूल्य सूत्र निर्धारण विवरण के क्रम संख्या–09 पर उल्लिखित होलोग्राम को उत्पादक/बाण्ड अनुज्ञापन स्तर पर पूर्व के भॉति चस्पा किया जायेगा।

3. क्रमांक 18 में उल्लिखित खुदरा विक्रेता का लाभांश क्रमांक 17 पर निर्धारित है (जो त्रुटिवश क्रमांक 14 पर लाभांश के आगणन का उल्लेख हो गया है) जिसे क्रमांक 18 में त्रुटिवश खुदरा विक्रेता का लाभांश अंकित क्रमांक–14 के स्थान पर क्रमांक 17 पढ़ा जाय।

4. आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2025–26, 2026–27 व 2027–28 (त्रिवर्षीय आबकारी नीति) के नियम–38 में उल्लिखित अन्य देशों से आयातित विदेशी मदिरा पर रू0 100/– प्रति बल्क लीटर तथा बीयर/वाईन एवं कम तीव्रता की पेय (एल0ए0बी) पेय रू0 30/– बल्क लीटर परमिट शुल्क देय होगा अंकित है, के स्थान पर को नियम–19. 1(m) के क्रमांक 10 पर अंकित परमिट फीस रू0 120 प्रति पेटी (12 के पैक में) के अनुसार अन्य देशों से समुद्रपार आयातित मदिरा का मूल्य निर्धारित किया जायेगा। उक्त नियम समुद्रपार आयातित मदिरा की परमिट फीस से सम्बन्ध में मदिरा मूल्य निर्धारण सूत्र में दी गयी व्यवस्था के अनुसार गणना की जाय।

5. आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2024 के नियम–11.4 में प्राविधानित है कि "वित्तीय वर्ष 2023–24 के ऐसे अनुज्ञापी जिन्होने अपनी मदिरा दुकानों का नवीनीकरण वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु करवाया हो, वह अनुज्ञापी विगत वर्ष 2023–24 के जमा किये गये ऐसे अधिभार की धनराशि, जिसके सापेक्ष मदिरा का उठान अवशेष रह गया हो, को वित्तीय वर्ष 2024–25 में जिला आबकारी अधिकारी की संस्तुति के क्रम में आबकारी आयुक्त द्वारा अवशेष उठान की अनुमति गुणावगुण के आधार प्रदान की जा सकेगी। "उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2025–26, 2026–27 व 2027–28 (त्रिवर्षीय आबकारी नीति) जो कि उत्तराखण्ड शासन आबकारी अनुभाग की अधिसूचना संख्याः 176/XXIII-1/2025–04 (01)/2025 देहरादून दिनांकः 05, मार्च, 2025 के

Sd/-

नियम–59 में प्राविधानित है कि "आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2024 के अन्य नियम यथावत् रहेंगे एवं अन्य सुसंगत प्राविधान पूर्व वर्षो की भांति यथावत् रहेंगे।"

अतः उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2025–26, 2026–27 व 2027–28 (त्रिवर्षीय आबकारी नीति) के नियम–42 व 59 के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2024–25 के ऐसे अनुज्ञापी जिन्होने अपनी मदिरा दुकानों का नवीनीकरण वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु करवाया हो, वह अनुज्ञापी विगतवर्ष 2024–25के जमा किये गये ऐसे अधिभार की धनराशि, जिसके सापेक्ष मदिरा का उठान अवशेष रह गया हो, को वित्तीय वर्ष 2025–26 में जिला आबकारी अधिकारी की संस्तुति के क्रम में आबकारी आयुक्त द्वारा अवशेष उठान की अनुमति गुणावगुण के आधार प्रदान की जा सकेगी।"

6. आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2025–26, 2026–27 व 2027–28 (त्रिवर्षीय आबकारी नीति) के नियम–19.1(c) में उल्लिखित वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु ऐसी संस्था/इकाई का एफ0एल0–2(O) अनुज्ञापन नवीनीकरण किये जाने पर आबकारी आयुक्त द्वारा विचार किया जायेगा, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 में (दिनांक 31, दिसम्बर, 2025 तक) में कोष्ठक में "दिनांक 31 दिसम्बर 2025 तक" त्रुटिपूर्ण उल्लिखित है, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2024–25 में 31 दिसम्बर, 2024 का समय त्रुटिरहित होगा। अतः 31, दिसम्बर 2025 के स्थान पर 31 दिसम्बर, 2024 पढा जाय।

इस सम्बन्ध में उपरोक्त निर्देश/सूचना की एक प्रति सम्बन्धित अनुज्ञापियों को अनुपालनार्थ प्रेषित की जाय।

12/03/2025

(हरि चन्द्र सेमवाल)
आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

संख्याः 24871-77/सात लाई०–एस–48/आब०नीति/वर्ष 2025–26 देहरादून तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, आबकारी उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. समस्त उप/संयुक्त/अपर आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड।
4. उपरोक्त समस्त अधिकारीगण को उपरोक्त के अनुपालनार्थ इस निर्देश के साथ कि कृत कार्यवाही सूचना से उप आबकारी आयुक्त, लाईसेंसिंग को अवगत करायेंगे।
5. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. आई0टी0 अनुभाग कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

12/03/2025

(हरि चन्द्र सेमवाल)
आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।